प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'पचास' [29/7/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 2289]

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त मध्य प्रदेश

विधे. अतारांकित 2289

क्रमांक 1135 /11भू.प्र./ना.चि.शा./म.टो./2012 ग्वालियर दिनांक / /2012

परिशिष्ट-अ

प्रति,

अधीक्षक भू-अभिलेख,
भू-अभिलेख शाखा
कलेक्टेट जिला [illegible]
(म.प्र.)।

विषय- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा क्र. ए 0959 मजरे टोलों को राजस्व ग्राम घोषित करने बावत्।

संदर्भ- (1) प्रमुख सचिव म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल का समस्त कलेक्टर्स को सम्बोधित तथा इस कार्यालय को पृष्ठांकित पत्र क्र.एफ 11-1/2010/सात-शा.6 भोपाल दिनांक 8 जुलाई 2011.

(2) इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 781/11भू.प्र./ना.चि.शा./म.टो./2012 ग्वालियर दिनांक 16.4.2012

उपर्युक्त विषय पर संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयान्तर्गत लेख है कि कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त ग्वालियर में अधीक्षक भू-अभिलेख अधिकारियों की दिनांक 2.6.2012 को आयोजित की गई बैठक में मान.आयुक्त महोदय द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि भू-राजस्व संहिता के विहित प्रावधानों का अनुपालन करते हुए, ऐसे मजरे टोलों को चिन्हांकित करें, जिन्हे राजस्व ग्राम में परिवर्तित किया जा सकता है।

अतः मजरे टोलों को राजस्व ग्राम में परिवर्तन के लिये निम्नांकित मापदण्ड अपनाये जावें :-

(अ) मूल राजस्व ग्राम से मजरे टोलों की दूरी लगभग 2 कि.मी या अधिक होनी चाहिये।

(ब) पृथक बनाये जा रहे राजस्व ग्राम का क्षेत्रफल 200 एकड़ से कम न हो, तथा पृथक हुए उक्त ग्राम की आबादी 200 या अधिक होनी चाहिये।

(स) पृथक बनाये जा रहे, राजस्व ग्राम की चतुर्सीमायें मूल ग्राम से एवं अन्य सीमावर्ती ग्रामों से मिलनी चाहिये, मजरे टोलो से पृथक बनाये जा रहे राजस्व ग्राम की सीमायें मूल ग्राम की सीमाओं के अन्दर ही स्थित न रहे।

अतः उपरोक्त अ,ब,स के मापदण्डों एवं म.प्र.भू-राजस्व संहिता में विहित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए जिले में, मजरे टोलों को राजस्व ग्राम बनाये जाने हेतु चिन्हांकित कर सूची, एवं सृजित किये जा रहे, नवीन राजस्व ग्रामों के मानचित्रों की प्रति, के साथ औचित्यपूर्ण प्रस्ताव निर्देशानुसार 15 से 20 दिवस के अन्दर प्राथमिकता देकर तैयार कर इस कार्यालय को भिजवायें।

मजरे टोलों से बनाये जाने वाले नवीन राजस्व ग्रामों के प्रस्ताव, चिन्हांकित मजरे टोलों की नामवार सूची, मानचित्र सहित हों, इस तथ्य का विशेषतः ध्यान रखे जाने बावत आदेशित किया जाता है।

संयुक्त आयुक्त
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त
मध्य प्रदेश

D:\Nazool Division\Majumdar\Majra Tola 2012.doc

—2—

7/20/2016 6:54 PM

/11भू.प्र./मा.चि.शा./म.टो./2012 ग्वालियर दिनांक

प्रति-

1- कलेक्टर जिला--समस्त--------म.प्र.की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करते हुए लेख है कि अधीनस्थ को विषयांकित जानकारी के प्रस्ताव 15 से 20 दिवस के भीतर निर्देशानुसार तैयार कराये जाकर इस कार्यालय को भिजवाये जाने हेतु कृपया आदेशित करने का कष्ट करें।

2- क्षेत्रीय उप आयुक्त भू-अभिलेख जिला समस्त--------म.प्र.की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सही/-

संयुक्त आयुक्त,
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त
मध्य प्रदेश